

नम्बर २
अदालत में जारी हुए
हुकम की ताम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद में अन्तिम डिक्री : :
[आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0]

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 36/2018 राजस्व वाद

1. होकमा पिता पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
अनवान
— (वादी)

- बनाम**
1. शंकर लाल पिता पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
 2. शान्ति लाल पिता पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
 3. कंकु पुत्री पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
 4. श्रीमति उगमी पत्नि पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
 5. श्रीमति सीता देवी पत्नि ज्ञानमल खटीक उम्र वयस्क निवासी एफ-243 आर.के.कॉलोनी, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
 7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय बनेडा जिला भीलवाडा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात
—(प्रतिवादी गण)

- उपस्थित -
1. श्री होकमा रेगर.....वादी स्वयं
 2. समस्त विपक्षीगण.....उपस्थित
 3. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 06, 07

दिनांक- 03.05.2018

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में उभयपक्ष पक्षकारान उपस्थित। आज दिनांक 03.05.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र सहमति से निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि - वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उभयपक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षेत्र बरण तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 265 किता 2 कुल रकबा 03-16 बीघा शिविर मे तैयार, प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. सीतादेवी पत्नि ज्ञानमल खटीक निवासी एफ-243 आर.के.कॉलोनी, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (प्रतिवादी संख्या 05)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
1726/1	00-01	गै.मु.ट्यूबवैल
1726 मी	00-18	वा.द्वितीय
1726/5	00-13	ब.द्वितीय
कुल 3	रकबा 01-12 बीघा	1.70

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. होकमा पिता पेमा रेगर निवासी कोलीखेडा (वादी)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
1726/3	00-13	बा.द्वितीय/0.72
कुल 1	रकबा 00-13 बीघा	बा.द्वितीय/0.72

3 शंकरलाल, शान्तिलाल, कंकु पिता पन्ना, उगमी पत्नि पन्ना रेगर निवासी कोलीखेडा।

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
1726/4	00-13	बा.द्वितीय/0.72
1726/6	00-18	बा.द्वितीय/0.99
कुल 02	रकबा 01-11 बीघा	बा.द्वितीय/1.71

उपरोक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

(उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा))